रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL ... 9 MAR 1978 GOVT. OF ...

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1978/फाल्गुन 10, 1899
No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1978/PHALGUNA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं०, 15-ईटीसी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1978

विषय :—"पुरावशेष हथियारों" के प्रतिरूपों का निर्यात ।

मिसिल सं० 17/14/76-ई-आई:—पुराने हथियारों [निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 भाग "ख" की क्रम सं० 91(2)(ख) पर प्रदर्शित] के निर्यात की अनुमति वर्तमान समय में "पात्रता के आधार" पर है । पुरावशेष हथियारों के प्रतिरूपों का निर्यात भी उसी तरीके से नियंत्रित किया जा रहा था जिस तरीके से पुराने हथियार।

2. सरकार द्वारा स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उन पुरावशेष हथियारों के प्रतिरूपों के निर्यात की अनुमति दी जाए जो अग्नेयास्त्रों के रूप में उपयोग के लिए अहानिकर बनाए गए हों और निरीक्षण निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षित संबंधित नमूनों के अनुरूप हों । कार्यालय की मोहर, हस्ताक्षर और रबड़ की मोहर लगा कर निर्यात के लिए आवेदनपत्र पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने चाहिएं; आवेदनपत्रों के साथ उस जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश या पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, [अनुबन्ध (क) के प्रपत्र के अनुसार] होना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिरूपों का निर्माण किया गया है । निर्यात के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदनपत्र की प्रतियां साथ-साथ निम्नलिखित को भेजी जाएंगी :—

(1) जिला मजिस्ट्रेट; और

(2) पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्यात का नियत स्थान स्थित है ।

3. आगे यह निश्चय किया गया है कि उस व्यक्ति के लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता नहीं होगी जिसने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारत में वास्तविक प्रतिरूप खरीदे हैं और भारत छोड़ते समय अपने सामान के भाग के रूप में उनको केवल 4 नगों तक ले जाना चाहता है। ऐसे सीमित निर्यात की अनुमति (सीमाशुल्क अधिकारी जो सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता से पद में कम न हो, के स्वनिर्णय पर) प्रस्थान के पत्तन पर यह प्रमाणित करते हुए वाउचर/बिक्री ज्ञापन प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि प्रतिरूपों का समर्थ प्राधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है । संदेह के मामले में सीमाशुल्क अधिकारी जो पद में सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता से कम न हो, उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र मांग सकता है ।

अनुबन्ध-I

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई सूची में दर्ज प्रतिरूप आग्नेयास्त्रों के रूप में अहानिकर बनाए गए हैं और निरीक्षण निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षित नमूनों के अनुरूप हैं :—

प्रतिरूपों की क्रम सं०	नमूने के निरीक्षण की तिथि	विनिर्माण का वर्ष	विनिर्माता का नाम

स्थान :

जिला मजिस्ट्रेट
या

दिनांक : जिलाधीश

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC(PN)/78

New Delhi, the 1st March, 1978

Subject : Export of Replicas of 'Antiques Weapons'.

F. No. 17/14/76/E-I :—Export of obsolete arms [appearing at S. No. 91(ii) (b) of Part 'B' Schedule I to E(C)O, 1977] is pres ently allowed 'on merits'. Export of replicas of antiques w eapons were also being regulated in the same manner as absolete arms.

2. On a review of the situation by the Government, it has been decided that export may be allowed of replicas of those antique weapons as have been rendered innocous for use as firearms and correspond to the respective samples inspected by the Directorate of Inspection, Department of Defence Production, New Delhi. Applications for export bearing official seal, signature and rubber stamps should be submitted to the port licensing authorities, accompanied by a certificate, as in the form at Annexure 'A', issued by the District Magistrate or Collector or Commissioner of Police within whose jurisdiction the replicas have been manufactured. Copies of every such application for export shall be sent simultaneously to;

(i) The District Magistrate; and

(ii) The Superintendent of Police in whose jurisdiction the intended place of export is situated.

3. It has been further decided that no export permit will be needed by a person who has purchased bonafide replicas in India intended for his personal use and desires to carry them upto four pieces only as part of his baggage while leaving India. Such limited exports may be allowed (at the discretion of the Customs Officers not below the rank of Assistant Collector of Customs) at the port of departure on production of voucher/ sale memo certifying that the replicas have been inspected by the competent authorities. In case of doubt Custom Officer not below the rank of Assistant Collector of Customs may require production of a certificate referred to in para 2 above.

ANNEXURE 'A'

Certified that replicas listed below have been rendered innocous as fire arms and correspond to the sample inspected by the Director of Inspection, Department of Defence Production, New Delhi :

Sl. No. of Replica	Date of Inspection of sample	Year of Manufacture	Name of Manufacturer

Place :

District Magistrate
Or
Date : Collector

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Import & Export

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978